# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)**

प्रकरण सख्याः 73/23 दायर दिनांकः 05.06.2023
जीसीएमएस नं. 2023/160

**उनवान**

बिजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सरदार जाति जाट नि. बल्लभगढ़ तह. भुसावर जिला भरतपुर, राज.।

––वादी

बनाम

1 उदयसिंह 2 फत्ते पुत्रान कुन्दन जातियान माली नि. अहीरवाला नंगला बल्लभगढ़ तह. भुसावर 3 ज्ञानसिंह 4 बच्चूसिंह 5 शेरसिंह पुत्रान सरदार जातियान माली नि. बल्लभगढ़ तह. भुसावर 6 लीला पुत्री सरदार पत्नि मानसिंह जाति जाट नि. 54 मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा जयपुर 7 प्रेम पुत्री सरदार पत्नि बलवीर जाति जाट नि. महतौली तह. भुसावर जिला भरतपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत कब्जा वापिस कराये जाने
अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1. श्री महेश मीणा ––वादी
2. श्री राजू सैनी ––प्रति. सं. 1,2

निर्णय दिनांक 22.01.2025

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 381 रकबा 0.09 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लभगढ़ तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी 7/30 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ज्ञानसिंह 7/30 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 बच्चूसिंह 7/30 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 शेरसिंह 7/30 हिस्से का व शेष 1/15 हिस्से की वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 की माँ गुलदेवी खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी है। लेकिन असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति है, जो वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से जबरन कब्जा करना चाहते है, जिसके लिए वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की उक्त आराजी पर असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करते हुए आराजी से वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को बेदखल करने के इरादे से दिनांक 18.07.2019 को असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की उक्त आराजी में अनाधिकृत रूप से घुस आये और वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ बुरी तरह मारपीट की और वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को जबरन आराजी पर कब्जा कर बेदखल कर दिया तथा वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी पर अवैधानिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कब्जा कर लिया। जिसका मुकदमा भी वादी ने पुलिस थाना, भुसावर पर एफ.आई.आर. नंबर 397/2019 अन्तर्गत धारा 323, 341, 447, 427, 504 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराया। जिसमें पुलिस थाना, भुसावर ने अनुसंधान कर असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भुसावर के समक्ष पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक 30.05.2023 को वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादीगण से पुनः आराजी का कब्जा वापिस करने के लिए कहा, तो असल प्रतिवादीगण ने वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी का कब्जा वापिस करने से साफ इंकार कर दिया और झगड़ा करने को पुनः आमादा को गये। जबकि वादी की आराजी पर असल



उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

प्रतिवादीगण को कब्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी अपनी खातेदारी की आराजी से असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल करवा पाने की अधिकारिणी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी से कब्जा असल प्रतिवादीगण हटवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण 3 लगायत 7 को वापिस दिलाया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा श्री राजू सैनी एड. द्वारा पेश किया गया तथा उनके द्वारा जवाब दावा पेश किया गया तथा जवाब द्वारा अवगत कराया गया कि ख.नं. 256 व 381 को व ऐवज 800/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता कुन्दनलाल व गिरधारीलाल को मौखिक रूप से वादी के पिता सरदार ने करार करते हुए बेचान कर दिया और विक्रय राशि प्राप्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता कुन्दनलाल व गिरधारी को दे दिया, तभी से मौके पर स्वर्गीय कुन्दनलाल व गिरधारी के कब्जे में चली आ रही है व उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुख्ता धर्मशाला बनी हुई, पाटौर पोश व छप्पर पोश डले हुए है, तभी से उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण 1 व 2 का ही कब्जा है व हम कब्जा काश्त है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड भली भाँति अध्ययन किया गया।

चूँकि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 की रिकॉर्डेड खातेदारी की आराजी है। रिकॉर्डेड खातेदारी से अधिकारों से वंचित किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

इसके आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 381 रकबा 0.09 हैक्टे. वाके ग्राम बल्लभगढ़ तह. भुसावर पर असल प्रतिवादीगण संख्या 1 उदयसिंह व 2 फत्ते को कब्जे से हटवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 को उनके हिस्से अनुसार कब्जा सम्भलाया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)